

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर०-236/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० मनिषा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, पटोरी, समस्तीपुर के द्वारा दिनांक-17.09.2020 से 31.08.2023 तक अध्ययन में बितायी गयी अवधि को अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/आर०-236/2025- 2141(2) पटना, दिनांक 8/9/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर /उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, पटोरी, समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर /डा० मनिषा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, पटोरी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।
R